वित्तीय स्वीकृति

संख्या– /XVII-1/2017-11(09)/2015

प्रेषक,

डा0वी0षणमुगम,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–01. देहरादूनः दिनांक 21 दिसम्बर, 2017.

विषयः राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1913/ज.जा.क./आई.टी.आई./2017–18 दिनांक 05.07.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किए जाने हेतु शासनादेश संख्या–841/XVII-1/2016-11(11)/2015 दिनांक 28.10.2016 के द्वारा रू0 13.98 लाख (रू0 तेरह लाख अठानवे हजार मात्र) तथा शासनादेश संख्या–729/XVII-1/2016-11(11)/2015 दिनांक 16.09.2016 के द्वारा रू0 125.16 लाख (रू0 एक करोड पच्चीस लाख सौलह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चकराता देहरादून हेतु अवशेष धनराशि रू0 23.71 लाख (रू0 तेईस लाख इकत्तर हजार मात्र) वित्तीय वर्ष 2017–18 में संलग्न अलॉटमेट आई.डी. संख्या–S17123162 16 दिनांक 21.12.2017 के अनुसार आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधिन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

3. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाए जितनी मदवार धनराशि स्वीकृति की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

5. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाए।

6. विस्तृत आगणन में प्रावधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

8. समय से उपयोग करने के लिए अवमुक्त धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त करना सुनिश्चित किया जाए।

9. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 वित्तीय नियम संग्रह, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत नियम/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

10. बी0एम0–08 पर संकलित मासिक व्यय की सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

11. निर्माण कार्यो को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराते हुए निर्माण कार्या की गुणवत्ता बनाए रखे तथा अवमुक्त धनराशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करें।

12. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–31 के लेखाशीर्षक–4225–02–277–07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण की मानक मद 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

13. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30.06.2017 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(डा0वी0षणमुगम)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–659(1)/XVII-1/2017-11(09)/2015, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
4. एन.आई.सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
5. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
उप सचिव।

बजट आवंटन वितीय वर्ष - 20172018

Secretary, Social Welfare (S045)

आवंटन पत्र संख्या - 659/XNtl-1/2017 | अलोटमेंट आई डी - S1712310216
अनुदान संख्या - 031 | आवंटन पत्र दिनांक -21-Dec-2017

HOD Name - Director Tribal Welfare (4706)

1: लेखा शीर्षक
4225 - अनुसूचित जातियों /जनजातियों तथा अन्य पिछड़े व
02 - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
277 - शिक्षा
07 - रा0औ0प्र0संस्थाओं में अवस्थापना सुविधा
00 - रा0औ0प्र0संस्थाओं में अवस्थापना सुविधा

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	0	2371000	2371000
	0	**2371000**	**2371000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 2371000